



R.A. for
report

K
09/11/2020

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

राजस्व वाद सं० : ³²⁸ 27-11-2020 / 2020

1- श्रीमती बनारसी पुत्री श्री हेमकरण उग्र करीब 60 साल जाति अहीर निवासी
पटौदी जिला गुरुग्राम (हरियाणा)

:—वादीया

बनाम

- 1- राजकरण पुत्र उदमीराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा
जिला अलवर (अलवर)
- 2- श्रीमान शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सलारपुर
जिला अलवर (राजस्थान)
- 3- श्रीमान तहसीलदार साहब, तिजारा वहेसियत लैण्ड होल्डर तहसील तिजारा
जिला-अलवर (राजस्थान)

:—प्रतिवादीगण

दावा तकारामा मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज०
काश्तकारी अधिनियम-1955

महोदय,


बयान दावा वादीया की ओर से निम्न पेश है :—

1- यह है कि हाल आराजी खसरा सं. 200 रकबा 0.5800 हैक्टेयर आराजी वाके
ग्राम सलारपुर तहसील तिजारा जिला-अलवर (राजस्थान) में स्थित है, जो
आराजी प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा हाल
जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

2- यह है कि विवादित आराजी में मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मिन
वादीया का 1/4 हिस्सा निहित है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का मुताबिक
जमाबन्दी निहित है, जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में हो रहा है।
विवादित आराजी पर वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 शामलात मे काबिज काश्त है।

बनारसी

क्र. 18



बनारसी

श्रमान

- 1) कोर्ट फौज चल्ता है
- 2) तलबना तलब है
- 3) वाद होनाधिकार के अन्तर्गत है

09/11/2020

S.D.O. / 1/1/1/1

Registered Notice

05/11/2020

17/12/20

पत्रावली पेश हुई PO राज्य अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली परानुसार आगामी दिनांक 17/12/20 को प्रस्तुत है।

गति धारक नगरीय मजदारी


3

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

18/11/2021

पत्रावली आजवादी के प्रारण पत्र पर तमक होकर पेश हुई वादी ने अपना वाद विज्ञो करने का निवेदन किया वादी के प्रह्याण वादी माधेवना द्वारा भी गरी वादी का वाद वादी के प्रारण पत्र पर रवाशेण भिजा जाता है। पत्रावली के सब सुमार हो वाद रकमील जमा लेख आशर है।

निं 18



बनारसी

उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलपर) राज